

कांजा० संख्या 12024/2/92-रा०भा० (ख-2), दिनांक 6.4.1992

कार्यालय ज्ञापन

विषय— संसदीय राजभाषा समिति को रिपोर्ट के चौथे खण्ड में की गई सिफारिशें-राजभाषा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांच विन्दुओं को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाना।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट के चतुर्थ खण्ड में यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों एवं उसके संबंद्ह/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/नियमों आदि में राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान, राजभाषा अधिनियम 1963 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुबंधों के समुचित अनुपालन के लिए जांच विन्दु बनाने के संबंध में अपनी जिम्मेदारी का नियापूर्वक पालन करें और जांच विन्दुओं को प्रभावशाली ढंग से स्थापित करें। समिति की यह सिफारिश मानो हुए सरकार का निर्णय इस विभाग के संकल्प संख्या 12019/10/91-रा०भा० (भा०) दिनांक 28.1.1992 द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचित किया जा चुका है।

2. जांच विन्दुओं को प्रभावी ढंग से स्थापित किए जाने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग का कार्यालय ज्ञापन 20014/5/87-रा०भा० (ख-2) दिनांक 10.9.1987 जारी करते हुए सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे राजभाषा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कराने के उद्देश्य से जांच विन्दुओं को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए।

3. मंत्रालयों/विभागों से संसदीय राजभाषा समिति को उक्त सिफारिश के परिणेश में पूनः अनुरोध है कि वे राजभाषा नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने एवं हिंदी के प्रगती प्रयोग को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित जांच विन्दु स्थापित करें:

1. सामान्य आदेश तथा अन्य कागज आदि को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करना

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित, 1967) की धारा 3(3) में उल्लेखित सभी दस्तावेज आदि हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी होने चाहिए। इसके लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी वह सुनिश्चित करें कि मासैदे पर तब तक हस्ताक्षर न किए जाएं जब तक वांछित कागजात द्विभाषी रूप से तैयार न हो। इसके साथ ही उस अनुभाग को जहाँ दस्तावेज साइक्लोस्टाइल किए जाते हैं, जांच विन्दु बना दिया जाए और ऐसे दस्तावेज तभी साइक्लोस्टाइल किए जाएं जब उनका हिंदी/अंग्रेजी रूपांतर भी साथ भेजा गया हो। साथ ही जो अनुभाग परिषदों आदि के प्रेषण का काम करता है, वह यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रकार के दस्तावेज साथ-साथ हिंदी में भी जारी हो रहे हैं; भेजते समय वह ध्यान रखें कि हिंदी रूपांतर अंग्रेजी रूपांतर के ऊपर/पहले रखा जाए।

2. हिंदी में प्राप्त पत्रों आदि के उत्तर हिंदी में देना

जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से कोई पत्रादि जारी होता है, स्वयं उसकी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यदि कोई पत्र हिंदी में प्राप्त हुआ है अथवा किसी आवेदन, अपील या अप्यायेदान पर यदि हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों तो उसका उत्तर हिंदी में ही दिया जाए।

3. "क" तथा "ख" क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्र आदि

प्रेषण अनुभाग को जांच विन्दु बनाकर उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि वे "क" तथा "ख" क्षेत्रों की राज्य सरकारों को जाने वाले पत्रों आदि के प्रेषण के लिए तभी स्वीकार करें जब वे हिंदी में हों या उनका हिंदी अनुवाद साथ हो।

4. लिफाफों पर हिंदी में पते लिखना

प्रेषण अनुभाग को जांच-विन्दु बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों को जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते देवनागरी लिपि में ही लिखे जाएं।

5. देवनागरी टाइपराइटरों की खरीद

पूर्ति और निपटन महानिदेशालय अपने वहाँ टाइपराइटरों की खरीद संबंधी प्राप्त होने वाले इडेंटी की जांच करके यह देखता है कि क्या देवनागरी टाइपराइटरों के लिए निर्धारित लक्ष्य का पालन हो रहा है। जो विभाग, कार्यालय या उपक्रम अपने टाइपराइटरों की खरीद, पूर्ति तथा निपटन महानिदेशालय के मार्फत व करके सीधे ही करते हैं, उन्हें भी इस प्रकार के जांच-विन्दु बना लेने चाहिए। उनका जो अधिकारी टाइपराइटर खरीदने के लिए आईर देता है उसे भी यह देख लेना चाहिए कि क्या देवनागरी टाइपराइटरों के लिए निर्धारित लक्ष्य का पालन हो रहा है। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब तक देवनागरी टाइपराइटरों के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक रोमन टाइपराइटर न खरीदें जाएं।

6. फार्म, कोड, मैनुअल और गजट की सामग्री का द्विभाषी प्रकाशन

शहरी विकास मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के प्रेस इस बात का ध्यान रखते हैं कि (क) भारत के गजट में छपने वाली अधिसूचनाएं, नियम, संकल्प तथा (ख) कोड, मैनुअल, फार्म तथा रजिस्टरों के शीर्ष आदि हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हों। जो सामग्री दोनों भाषाओं में नहीं भेजी

जाती उसे मुद्रण निदेशालय संबोधित विभाग को बापस कर देता है। इस प्रकार के जांच-विद्युत भारत सरकार के अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों तथा इनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपकरमौं आदि के अधीन स्थापित प्रेसों में भी बनाये जाने चाहिये जिनसे ऐसी सामग्री के बल अंग्रेजी में न छपे। और सरकारी प्रेसों से छपाई जाने वाली सामग्री पर भी इसी तरह के जांच विद्युत स्थापित किया जाये।

7. रबड़ की मोहरें, नाम पटट सूचना पटट, आदि द्विभाषी रूप में बनाना

जो अनुभाग इन बस्तुओं को तैयार कराने का काम देखता है, उसके प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होनी चाहिये कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 में डल्लिखित बस्तुएं हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में (और यथावश्यक क्षेत्रीय भाषा में भी) तैयार कराई जाएं।

8. सेवा पंजी में प्रविष्टियाँ

जिस अनुभाग में कर्मचारियों की सर्विस बुकों में प्रविष्टियाँ करने का काम होता है उसके प्रभारी अधिकारी को वह जिम्मेदारी होनी चाहिये कि “क” तथा “ख” क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सर्विस बुकों में की गई प्रविष्टियाँ हिंदी में की जाएं। इस प्रकार की प्रविष्टियाँ “ग” क्षेत्र में यथासंभव हिंदी में की जाएं। इस बात की पड़ताल सर्विस बुक में प्रविष्ट करते समय/उस पर हस्ताक्षर करते समय कर ली जाएं।

9. सामान्य जिम्मेदारी

राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार जो पत्र परिपत्र आदि हिंदी में या हिंदी और अंग्रेजी में जारी होने चाहिये या जो प्रलेख हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किये जाने हों, वे उसी रूप में जारी होते हैं, यह दंखने की जिम्मेदारी पत्र या प्रलेख पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की है। अतः हस्ताक्षर करने से पूर्व ऐसे अधिकारी से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि ऐसे पत्र/परिपत्र, प्रलेख आदि हिंदी में या द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं।

10. मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध है कि उपर्युक्त को जानकारी/अनुपालनार्थ अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपकरमौं/निगमों आदि के ध्यान में ला दें। इस संदर्भ में जारी किये गये निदेशों की प्रतियाँ इस विभाग को भी भिजवाएं।